72/22 किस्म 251 (क) मुरारी उनवान [handwritten]

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

ांक	फर्द अहकाम
12/23	पत्रावली पेश हुई ।वकुलाय उपस्थित। जिसमें खसरा नंबर 810 से लेकर खसरा नंबर 790, 789 के पूर्वी डोल पर होकर 846 में होते हुए खसरा नंबर 879, 878, की पश्चिमी डोल पर होकर खसरा नंबर 877, 876 की मध्य डोल पर होकर खसरा नंबर 861 तक प्रार्थीगण को उनके खातेदारी की भूमियो को काश्त बाबत् रास्ता उपलब्ध कराने बाबत् अप्रार्थीगण को आदेशित फरमाने की साथ ही उक्त रास्ते को समस्त कागजात पटवार में गै0मु0रास्ता दर्ज फरमाते हुए रेवेन्यू शीट में उक्त रास्ते को तरमीम बाबत् तहसीलदार तहसील हिण्डौन को आदेशित करने हेतु प्रार्थीगण वकील द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट में पेश किया हैं। वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तामील हेतु सम्मन जारी किये गये। वाद तामील नोटिस शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 5 की ओर से श्री आर सी जैन एडवोकेट द्वारा बकालतनामा व जबाब पेश किया गया एवं अप्रार्थी नंबर 7 पैरोकार सरकार द्वारा अपना जबाब /मौका रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली की गई। जो निम्नानुसार है:–
	1. यह है कि हिण्डौन–महवा रोड से लिंक गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) खसरा नंबर 810 वाकेग्राम महू इब्राहिमपुर नक्शा शीट मुताबिक मौके पर चालू है। इस रास्ते के तीन तरफ खातेदारी भूमि अवस्थित है तथा इसी रास्ते के दक्षिण तरफ खातेदारी भूमि खसरा नंबर 790 रकवा 0.38 हे0, 789 रकवा 0.51 हे. जो कि महेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पि0 लक्ष्मीनारायण जाति स्वर्णकार निवासी महूखास दर्ल राजस्व रिकॉर्ड है।
	2. यह है कि उक्त खसरा नंबरन् मे से रास्ते को लेकर विवाद परिवादियान द्वारा दर्ज परिवाद है। परिवाददियन अनुसार यह रास्ता विगत सैकडों साल से मौजूद है जिसे गड्ढा खोदकर बंद किया जा रहा है इस कारण कृषि साधन व पशुओं को लाने ले जाने में परेशानी है।
	3. यह है कि उक्त खसरा नंबरान् के खातेदार अनुसार उनके खते में होकर कोई भी रास्ता आदिनांक तक न तो मौजूद है नही कभी चालू था। उनके द्वारा खेतों की मेड के क्षतिग्रस्त होने के कारण गड्ढा खोदे जाकर मेड की मरम्मत क जा रही है। तथा पशुओ से फसलो की सुरक्षा हेतु तारबंदी की गई। हैं।
	4. यह है कि उक्त खसरा नंबरान् में मौके पर कोई भी कदीमी रास्ता मौजूद नही है। तथा फसल कटने उपरांत मौके पर खेत खाली है। इस प्रकार मुताबिक राजस्व नक्शा शीट व मौके पर कोई भी रास्ता नही है।

मु० नम्बर 22/2 किस्म 251(5) मुशरी उनवान मोहन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
	अप्रार्थी नंबर 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रार्थी वकील द्वारा दिनांक 26.09.2023 को मौके की वास्तविक स्थिति की जांच करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा अपना जबाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किये गये। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गईं। प्रा0पत्र न्यायोचित प्रतीत नही होने पर खारिज किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकीय की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी वकील द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए खसरा नंबर 810 से लेकर खसरा नंबर 790, 789 के पूर्वी डोल पर होकर 846 में होते हुए खसरा नंबर 879, 878, की पश्चिमी डोल पर होकर खसरा नंबर 877, 876 की मध्य डोल पर होकर खसरा नबर 861 तक प्रार्थीगण को उनके खातेदारी की भूमियो को काश्त बाबत् रास्ता उपलब्ध कराने बाबत् अप्रार्थीगण को आदेशित फरमाने की साथ ही उक्त रास्ते को समस्त कागजात पटवार में गै0मु0रास्ता दर्ज फरमाते हुए रेवेन्यू शीट में उक्त रास्ते को तरमीम बाबत् तहसीलदार तहसील हिण्डौन को आदेशित करने हेतु निवेदन किया एवं अप्रार्थीगण वकील द्वारा खसरा नंरब 810 गैमु0 रास्ता खसरा नबर 790 एवं 786 की उत्तरी डोल पर होकर खसरा नबर 786 व 785 के मध्य होकर खसरा नबर 783 की उत्तरी डोल तक जाता है।इसके अलावा अन्य कोई खसरा नबर रास्ते के लिए अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य में होकर किसी प्रकार का नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 810 से लेकर खसरा नंबर 790, 789 के पूर्वी डोल पर होकर 846 में होते हुए खसरा नंबर 879, 878, की पश्चिमी डोल पर होकर खसरा नंबर 877, 876 की मध्य डोल पर होकर खसरा नबर 861 तक प्रार्थीगण को उनके खातेदारी की भूमियो को काश्त बाबत् रास्ता चाहा गया परन्तु प्रकरण में तहसीलदार हिण्डौन की मौका रिपोर्ट 1412 दिनांक 06.04.2023 द्वारा उक्त खसरा नंबरो पर मौके पर कोई भी कदीमी रास्ता मौजूद नही होने अर्थात अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे से होकर कोई रास्ता मौके पर नही होने, प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब में खसरा नंबर 810 गै0मु0 रास्ता खसरा नंबर 786 व 785 के मध्य होकर गुजरना अंकित किया है एवं नक्शा ट्रेस संलग्न किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एवं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार हिण्डौन की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीगण द्वारा

किस्म 251(क) मुराती उनवान

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

वादपत्र में स्वयं की भूमि पर जाने के लिए पहुच रास्ता हेतु अंकित किये गये खसरा नंबरो से कई खातेदार प्रभावित होना प्रमाणित होता है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस का प्रार्थीगण के द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे से मिलान करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा में गैर0मु0 रास्ता (खसरा नंबर 810) को अपूर्ण दिखाया गया हैं। जिससे प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र में तथ्यो को छिपाकर पेश किया जाना साबित होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन